

प्रश्न सं. [क. 4227]

परिक्षापत्र-1
पेज (सं 2)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 11-38/2015/1/9

भोपाल, दिनांक 11/01/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्ता/कलेक्टर,
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

विषय- सरकारी कामकाज एवं पत्र व्यवहार में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एम-19-21/(1990)/1/4 भोपाल
दिनांक 9-4-1990

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सरकारी कार्यालयों, अर्धशासकीय निकायों, उपक्रमों तथा निगमों में तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी प्रकार का सरकारी कामकाज अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किये जाने के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं। उन्हें अनेक बार दोहराया भी जा चुका है। केन्द्र तथा अन्य राज्यों से भी पत्र-व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट भाषा में ही किये जाने चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं है।

2. राज्य शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वैधानिक व्यवस्था तथा शासन के स्पष्ट और बारम्बार निर्देशों के बावजूद अंग्रेजी का उपयोग करने के प्रलोभन से बचा नहीं जा रहा है। यह देखने में आ रहा है कि कुछ विभाग, निगम, उपक्रम और अर्धशासकीय संस्थान अभी भी तकनीकी विषयों का बहाना लेकर अपने दैनिक सरकारी कामकाज, पत्र-व्यवहार, निमंत्रण-पत्र, नामपत्र, सूचनाएं, समाचार-पत्रों में निविदाएं, विज्ञप्तियां आदि के प्रकाशन तथै केन्द्र और अन्य राज्यों से सम्पर्क में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं।

3. अतः निर्देशित किया जाता समस्त शासकीय कार्य, पत्र-व्यवहार अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में ही किया जाए। केन्द्र शासन को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाए और अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जाए। अपने विभाग में हिन्दी में काम हो रहा है या नहीं, यह देखने का उत्तरदायित्व सचिव, विभागाध्यक्ष और निगमों के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी का होगा।

4. राज्य शासन के द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग, संचालनालय, निगम, उपक्रम या अर्धशासकीय संस्थान में कोई भी कार्रवाई अंग्रेजी में होती पाई जाती है तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

(एम.-के. वार्धिया)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 1/01/2016

पु. क्र० F11-36/2015/1/9

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश खालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र.इन्दौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र.जबलपुर/इन्दौर/खालियर।
11. महालेखाकार, म.प्र. खालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव(समन्वय)मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल।
17. समस्त शासकीय/अर्धशासकीय निकाय, निगम, परिषद, अकादमियां (म.प्र.)
18. अवर सचिव, साप्रवि, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.भोपाल। 19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगेषित।

(अ.स.स.)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

विशेष सहायक सचिव/अधीक्षक
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

परिशिष्ट

भोपाल, दिनांक 23 मई, 2008

क्रमांक 31.01.2002/विद्युत/भार/395

प्रति,
प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन / लोक निर्माण /
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / प्राचीन विद्युत विभाग
भोपाल

विषय : मुक्त ऑफ कावनेनियमल पॉवर 1995 के भाग-2 में संशोधन (जल संसाधन / लोक निर्माण / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / प्राचीन विद्युत विभाग)

श्री विभाग को प्राप्य क्रमांक 159/2003/2002/सी/भार दिनांक 31.01.2002 एवं मुक्त ऑफ कावनेनियमल पॉवर 1995 के भाग-2 में निर्माण विभागों को सारल क्रमांक 32(ए) पर संधि भवे अधिकारों में तथा सारल क्रमांक 113 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रत्ययोजित किये गये अधिकार बचावत रहेंगे :-

Financial Powers in respect of The Works Department

S.No.	Description	Authority Competent to Exercise of the Power	Extent of Delegation	Conditions
32	To accept tenders for works - (a) Except for lump sum tenders & purchases	1. Engineer-in-Chief 2. Chief Engineer 3. Superintending Engineer 4. Executive Engineer	up to Rs. 7.50 crores up to Rs. 5.00 crores up to Rs. 2.00 crores up to Rs. 20.00 Lakhs	Provided that the rate of tender is not more than 5% above the current schedule of rates Provided that the rate of tender is not more than 5% above the current schedule of rates Provided that the rate of tender is not more than 5% above the current schedule of rates Provided that the tender is not more than 20% above the current schedule of rates Provided further that the above powers will be exercised by the authority under the administrative directions / guidelines issued by the Administrative Department from time to time.
113	Powers to accord technical sanction to estimates	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full Powers up to Rs. 3.00 Crore up to Rs. 20.00 Lakhs	

संशोधन आदेश अगले दो दिनों में प्रस्तावित होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अफैसागुवार

अज्ञेति

(ए. पी. धीवारदास)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

विशाल कर्तविसाज अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्य प्रदेश मंत्रालय भोपाल